

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2020 — वैशाख 18, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-54/2020/वा.क.(आब.)/पांच(72).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को बोतल में भरने के लिए पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(29), दिनांक 31-03-2020 को अतिष्ठित करते हुए, एफ.एल.9क अनुज्ञप्तिधारियों हेतु बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ.एल.9क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय विशेष बोतल भराई फीस—

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	विशेषाधिकार (फ्रेंचाईज) व्यवस्था के अधीन भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
1	माल्ट हेतु (माल्ट में बीयर, ऐल, स्टाऊट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित हैं)	छत्तीसगढ़ राज्य में ही विक्रित होने वाली माल्ट मदिरा की विशेष बोतल भराई हेतु।	रुपये 5.00 प्रति बल्क लीटर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक एफ 10-54/2020/वा.क.(आब.)/पांच(72).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-54/2020/वा.क.(आब.)/पांच(72), दिनांक 08-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 8th May 2020

NOTIFICATION

No. F 10-54/2020/CT(EX)/V(72).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government hereby cancels its notification no No F10-34/2020/CT/(EX)/V(29), Dated 31-03-2020. and prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F.L.9(a) licensees as follows:-

1. Special Bottling fees payable by F.L.9(a) licensee :-

S.No.	Type of foreign liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor to be bottled under franchise arrangement	Bottling fees payable
1	For Malt liquor (including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider)	For special bottling of Malt liquor to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 5.00 per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-54/2020/वा.क.(आब.)/पांच(73).— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (माल्ट) को बोतल में भरने के लिए पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वा.क.(आब.)/पांच(30), दिनांक 31-03-2020 को अतिष्ठित करते हुए, एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारियों हेतु निम्नानुसार बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस विनिर्दिष्ट करता है :-

1. एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय बोतल भराई फीस—

क्र.	विदेशी मदिरा का प्रकार	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल भराई (बॉटलिंग) का विवरण	देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस)
1	माल्ट मदिरा हेतु (माल्ट में बीयर, ऐल, स्टाउट, पोर्टर तथा साइडर सम्मिलित है)	(क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही विक्रित होने वाली माल्ट मदिरा की बोतल भराई हेतु।	रुपये 1.00 प्रति बल्क लीटर

2. यह संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2020

क्रमांक एफ 10-54/2020/वा.क.(आब.)/पांच(73).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-54/2020/वा.क.(आब.)/पांच(73), दिनांक 08-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 8th May 2020

NOTIFICATION

No. F 10-54/2020/CT(EX)/V(73).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (13) of rule (18) of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government hereby cancels its notification no No F10-34/2020/CT/(EX)/V(30), Dated 31-03-2020. and prescribes the bottling fees for bottling of Indian Made Foreign Liquor (Malt) for F.L.9 licensees as follows:-

1. Bottling fees payable by F.L.9 licensee :-

S.No.	Type of Foreign Liquor	Description of Indian Made Foreign Liquor to be bottled	Bottling fees payable
1	For Malt liquor (including Beer, Ale, Stout, Porter and Cider)	(a) For bottling of Malt liquor to be sold in Chhattisgarh only.	Rs. 1.00 per bulk litre

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.